फर्द अहकाम

इन्द्रकुमार वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0

...ांक: 51/2022

...नांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
...2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि हाल खाता सख्या 29 के खसरा न0 209 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 212 रकबा 0.52 है०, खसरा न0 215 रकबा 0.28 है० वाके ग्राम बडी का खेडा श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा भू. अभि.नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी यात का सीमाज्ञान दिनांक 2/07/2020 को श्रीमान तहसीलदाः महादेय सांगानेर के आदेश कमांक / भू.अ. / 1577 दिनांक 24 '6/2020 की पालना मे ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के के खसरा न0 209 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 214 रकबा 0.23 है0, किता 2 रकबा 0.52 है0 के मौके पर पहुंचा। खसरा न0 2:15, 211 किश्म गै. मु.चाह से जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया। फर्द मौका रिपोर्ट पढ कर सुनाया गया, हस्ताक्षर करवाया गये। प्राथीगण की भूमि के पडौसी काश्तकार अप्रार्थी सख्या एक व पांच झगडालू किश्म के व्यक्ति है तथा आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार बाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य मे सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकारो से किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल खाता सख्या 29 के खसरा न0 209 रकबा 0.24 है०, खसरा न0 212 रकबा 0.52 है०, खसरा न0 215 रकबा 0.28 है० वाके ग्राम बडी का खेडा श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी सख्या छः को फरमाने [की कृपा करें]। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये [illegible] प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल [illegible] रजिस्टर नोटिस तामिल अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही है उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ला[ई ग]ई।	उपखण्ड अधिकारी जयपुर हिंतीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:14:54 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्रकुमार वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 51/2022

पत्रावली में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहरा में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की वाके प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल खाता सख्या 29 के खसरा न0 209 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 212 रकबा 0.52 है0, खसरा न0 215 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम बडी का खेडा श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी सख्या छः को फरमाने की कृपा करे।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, दौराने अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 में प्रार्थी के खसरा नम्बर 212, 215 अंकित नही है।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तोन हो तो प्रार्थीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की वाके ग्राम बडी का खेडा श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल खाता सख्या 29 के खसरा न0 209 रकबा 0.24 है0, खसरा न0 212 रकबा 0.52 है0, खसरा न0 215 रकबा 0.28 है0 का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार [illegible] सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:14:54 IST
Reason: SelfAttested